प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना

<u>सौभाग्य</u>

<u>के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) - हेल्पलाइन नंबर के लिए (1912)</u>

प्र. सं. 1: क्या विद्युतीकरण के लिए शेष घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने हेतु भारत सरकार की कोई योजना है?

उत्तर: जी, हां, भारत सरकार ने ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना अर्थात् प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की शुरूआत की है।

प्र. सं. 2: क्या यह योजना (सौभाग्य) देश के सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांवों और कस्बों के लिए है?

उत्तर: जी, हाँ, यह योजना देश के किसी भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के सभी शहरों और सभी गाँवों के सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों और सभी गरीब परिवारों के लिए है।

प्र. सं. 3: क्या सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए घर द्वारा कोई शुल्क या प्रभार देय है?

उत्तर: जी, नहीं, सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कोई अग्रिम शुल्क या प्रभार नहीं है।ऐसे परिवारों, जो गरीब नहीं है, को हर महीने बिल के साथ 50 रुपए की 10 किस्तों (कुल रु. 500) का भुगतान करना होगा।

प्र. सं. 4: कोई भी व्यक्ति सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कैसे कर सकता है?

उत्तर: आपके क्षेत्र के डिस्कॉम गांवों / गांवों के समूह में शिविरों का आयोजन करेंगे और इस तरह के शिविरों के बारे में व्यापक रूप से पूर्व सूचना दी जाएगी।आपको शिविर में केवल डिस्कॉम अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता है और कनेक्शन के लिए आपका आवेदन मौके पर ही पंजीकृत किया जाएगा।डिस्कॅम द्वारा उचित सत्यापन के बाद बिजली कनेक्शन जारी किया जाएगा।यदि आपको शिविर के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, तो आप आवश्यक मार्गदर्शन के लिए निकटतम डिस्कॉम के कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।इस बीच, यदि आप चाहें, तो आप अपना संपर्क विवरण हमें दे सकते हैं और संबंधित एजेंसी का कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा।

प्र. सं. 5: क्या सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है?

उत्तर: जी, नहीं, बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है।

प्र. सं. 6 : आवेदन के लिए कौन से अन्य दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर: पहचान का कोई भी प्रमाण जैसे वोटर आईडी / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / राशन कार्ड / आधार कार्ड आदि बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु पर्याप्त है।

प्र. सं. 7: क्या हमें बिजली कनेक्शन लेने के लिए अपनी तरफ से सर्विस केबल, मीटर आदि जैसी किसी भी सामग्री की व्यवस्था करने की आवश्यकता है?

उत्तर: जी, नहीं। सौभाग्य के तहत बिजली कनेक्शन के लिए घरों/परिवारों को कुछ भी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। कनेक्शन प्रदान करने के लिए सभी अपेक्षित सामान (सामानों) डिस्कॉम द्वारा प्रदान किया जाएगा।

प्र. सं. 8: क्या हमें अपने स्वयं की ओर से घर के अंदर प्रकाश व्यवस्था / बल्ब के बिंदुओं के लिए आंतरिक वायरिंग करवाने की आवश्यकता है?

उत्तर: सौभाग्य योजना के तहत, एलईडी बल्ब, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और स्विच आदि के साथ सिंगल पॉइंट वायरिंग भी प्रदान की जाएगी और इस मद में डिस्कॉम द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

प्र. सं. 9: क्या हम सौभाग्य योजना के तहत दिए गए बिजली कनेक्शन के साथ सभी प्रकार के बिजली के उपकरणों जैसे पंखा, कूलर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर / ग्राइंडर आदि का उपयोग कर सकते हैं?

उत्तर: सौभाग्य योजना के तहत, एक एलईडी बल्ब, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और स्विच आदि के साथ सिंगल पॉइंट वायरिंग प्रदान की जाएगी और डिस्कॉम द्वारा इस मद में कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, अगर घर में अधिक पावर पॉइंट का उपयोग करने की इच्छा है, तो अतिरिक्त वायरिंग और उपकरणों आदि की व्यवस्था घरवालों को ही करनी होगी। प्रत्येक घर (परिवार) और उपभोक्ता को डिस्कॉम के टैरिफ के अनुसार बिजली की खपत के लिए भुगतान करना होगा।

प्र. सं. 10: क्या मुफ्त बिजली कनेक्शन में खपत के लिए मुफ्त बिजली भी शामिल है?

उत्तर: जी, नहीं। किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का योजना में कोई प्रावधान नहीं है। मीटर में दर्शाई गई खपत के आधार पर डिस्कॉम के प्रचलित टैरिफ के अनुसार खपत की गई बिजली के बिल का भुगतान संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए।

प्र. सं. 11: हमने पहले एक बिजली कनेक्शन लिया था जिसे काट दिया गया था, क्या हम सौभाग्य योजना के तहत एक नया बिजली कनेक्शन ले सकते हैं?

उत्तर: यदि बिजली बिल के भुगतान में चूक के कारण पहले का कनेक्शन काट दिया गया था और बकाया राशि अभी भी बकाया है या अब तक उसका भुगतान नहीं किया गया है, तो आप सौभाग्य योजना के तहत नया कनेक्शन लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्र. सं.12: हमारा घर गाँव / कस्बे के एक कोने में स्थित है जहाँ बिजली की लाइन उपलब्ध नहीं है। क्या हम सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन ले सकते हैं।

उत्तर: सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण के लिए शेष घरों को शामिल करने के उद्देश्य से अंतिम मील की कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु खम्भे, कंडक्टर आदि लगाने का भी प्रावधान है और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे परिवारों को कनेक्शन जारी किया जा सकता है। कनेक्शन के लिए आवेदन जमा करने पर डिस्कॉम के अधिकारी आपके घर के लिए बिजली कनेक्शन जारी करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का पता लगाने के लिए साइट का दौरा करेंगे।

प्र. सं. 13: यदि हम मीटर स्थापित किए बिना कनेक्शन लेना चाहते हैं और प्रति माह फ्लैट दर से निर्धारित शुल्क का भुगतान करना चाहते हैं, तो क्या यह संभव है?

उत्तर: जी, नहीं। लागू कानून और विनियमों के अनुसार, योजना के तहत बिजली कनेक्शन लेने के लिए मीटर लगाना आवश्यक होगा और उपभोक्ता को संबंधित राज्य के डिस्कॉम के टैरिफ के अनुसार मीटर में दर्शाई गई बिजली की खपत के लिए भुगतान करना होगा।

प्र. सं. 14: हम .... शहर / गांव की .... कालोनी के निवास हैं। क्या हमें कनेक्शन मिलेगा?

उत्तर: सौभाग्य के तहत , ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में गरीब गैर-विद्युतीकृत घर योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बिजली कनेक्शन के लिए पात्र हैं।

प्र. सं. 15: हमारा घर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहाँ ग्रिड कनेक्शन नहीं पहुंच सकता है। हमें कनेक्शन कैसे मिलेगा?

उत्तर: ऐसे दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों, जहां ग्रिड विस्तार संभव नहीं है या यह लागत प्रभावी नहीं है, को एसपीवी आधारित स्टैंड-अलोन प्रणाली के माध्यम से बिजली प्रदान की जाएगी। ऐसे घरों को 5 एलईडी बल्ब, 1 डीसी पंखा और 1 डीसी पावर प्लग मुफ्त दिया जाएगा।

प्र. सं. 16: चूंकि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को ग्रिड से जोड़ा जाएगा, तो क्या ऐसी स्थिति में मांग को पूरा करने के लिए ग्रिड के पास पर्याप्त शक्ति उपलब्ध होगी?

उत्तर: जी, हाँ। देश में हर घर में बिजली की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है।